



Neutral Citation No. - 2026:AHC:25679

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 2483/2025

पार्वती

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: उदय भानु सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत प्राप्त करने हेतु दायर की गई है:-
 - I. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जो प्रत्यर्थी संख्या 2 को वाद संख्या 693 से 696 वर्ष 2007-2008, वर्तमान वाद संख्या 479 (राज्य बनाम राम लखन एवं अन्य), कंप्यूटरीकृत वाद संख्या 202454143658030061, अंतर्गत धारा 9-क(2) उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम मय संबंधित वादों को, जो चकबंदी अधिकारी, कीरतपुर, जौनपुर जिला-जौनपुर (प्रत्यर्थी संख्या 2) के समक्ष लंबित है, अंतिम निर्णय हेतु उस निर्धारित अवधि के भीतर निस्तारित करने का निर्देश दे जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और ठीक समझे।
 - II. कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और ठीक समझे।"
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उक्त वाद को त्वरित रूप से निस्तारित करने का निर्देश जारी किया जाता है।
4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, अतः यह न्यायालय रिट याचिका में वर्णित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, चकबंदी अधिकारी, कीरतपुर, जौनपुर जिला-जौनपुर (प्रत्यर्थी संख्या 2) को एक निर्देश के साथ वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है कि वे संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः छह महीने की अवधि के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भीतर, एक तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से कड़ाई से विधि के अनुसार उक्त वाद का निस्तारण करें।

5. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

फरवरी 2, 2026

नीतू

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"